म.प्र. शासन, वन विभाग

2004

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक /एफ–14/28/2002/10–2/ भोपाल, दिनांक /

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व
समस्त संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय), म.प्र.
उप संचालक, टाइगर रिजर्व,
म.प्र.

विषयः वनों की अवैध कटाई हेतु उत्तरदायित्वों का निर्धारण।

राज्य शासन द्वारा समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 11.2.2004 के तहत वनों की अवैध कटाई एवं उससे होने वाली हानि हेतु उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिये आदेश प्रसारित किये गये हैं। उक्त आदेश के क्रियान्वयन में क्षेत्रीय स्तर पर कुछ भ्रांतियां उत्पन्न होने की जानकारी शासन के ध्यान में आई है। इन भ्रांतियों को दूर करने हेतु समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 11.2.2004 के अनुक्रम में निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते हैं :–

1. अवैध कटाई की नुकसानी की जिम्मेदारी तय करने के संबंध में पहले इस बात की प्रारंभिक जांच की जावे कि समस्त स्तर के अधिकारी/कर्मचारियों ने उनसे अपेक्षित कार्यवाही की है अथवा नहीं। जिस स्तर से कार्यवाही होना नहीं पाया जाता, उस स्तर के अधिकारी/ कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जावे।

2. यदि प्रारंभिक जांच में यह पाया जाता है कि अधिकारी/कर्मचारी की संलिप्तता से अवैध कटाई हुई है, तो हानि की राशि की वसूली के साथ–साथ मध्य प्रदेश (सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत उनके विरूद्ध विभागीय जांच कर दीर्घ शास्ति से दण्डित की जावे जो सेवा से पदच्युत (Dismissal) करने तक हो सकता है। यदि केवल कर्तव्यों के प्रति लापरवाही से हानि हुई है, तो हानि की वसूली के साथ–साथ लघु शास्ति से भी दण्डित किया जाना चाहिये।

3. यदि एक से अधिक कर्मचारी/अधिकारी अवैध कटाई में संलिप्त अथवा घोर लापरवाही में दोषी पाये जाते हैं तो उप वनमण्डलाधिकारी स्तर तक प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी संबंधित वनमंडलाधिकारी के द्वारा एवं वनमण्डलाधिकारी की जिम्मेदारी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित की जावे। किसी अधिकारी/ कर्मचारी से राशि की वसूली तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही उनके द्वारा इस अवैध कटाई में पाई गई संलिप्तता/लापरवाही के आधार पर निर्धारित की जावे।

4. बीट हानि की जिम्मेदारी का निर्धारण हो जाने के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा उत्तरदायित्व निर्धारण का आदेश जब भी पारित किया जावे वह स्पीकिंग आर्डर के रूप में

हो। आदेश में यह स्पष्ट रूप से लेख करना अनिवार्य होगा कि शासन के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 11.02.2004 द्वारा जारी किये गये आदेश के साथ संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित कौन–कौन सी कार्यवाही संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं करने के कारण उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की जा रही है तथा वसूली की स्थिति क्यों बनती है।

5. क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा खड़े वृक्षों के मूल्य की गणना करने हेतु वाणिज्यिक दर का उपयोग किया जाता है। अवैध कटाई के विरूद्ध जप्त माल के मूल्य के लिये भी प्रचलित वाणिज्यिक दर को भी आधार माना जाता है परन्तु कई बार कर्मचारियों द्वारा अपने बचाव के लिये मौके पर पड़ी हुई लकड़ी के साथ–साथ अन्यत्र जप्त की गयी लकड़ी के मूल्य को भी जोड़ देते हैं जिससे भ्रामक स्थिति उत्पन्न होती है एवं यह प्रतीत होता है कि अवैध कटाई में हुई हानि के विरूद्ध जप्त लकड़ी का मूल्य ज्यादा है। अतः भविष्य में अवैध कटाई के प्रकरणों में अंतिम हानि की गणना काफी सूक्ष्मतापूर्वक की जावे ताकि इस प्रकार की भ्रामक स्थिति उत्पन्न न होने पावे।

(प्रशांत कुमार)
सचिव
म.प्र. शासन, वन विभाग,
भोपाल.

पृ.क्रमांक/ भोपाल, दिनांक/

प्रतिलिपिः 1. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य वन विकास निगम, पंचानन भवन, भोपाल.
2. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र., भोंपाल
3. समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय), म.प्र.
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
म.प्र. शासन, वन विभाग,
भोपाल.